

04 $\frac{3}{24}$

अधिवक्ता प्राचीन कन्या (महिला)
अधिवक्ता विपरीत उषा काकाज
लागू है। अधिवक्ता प्राचीन कन्या
प्राचीन स्वयं उषा नहीं। अतः
प्रकरण अदम्य हाजिरी अदम्य पंरनी में
शारीर किला जाता है। पत्रावली के लिए
शुभ्य लेकर नम्बर ले काम हो एवं
वार पत्रावली 156/2021 के साथ प्रमाण
दिखा करे जावे।

२

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)